

Q

Aggression & Social Violence.

Aggression का अर्थ है किसी व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने वाला व्यवहार है। इसमें शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से हमला करना शामिल है। इसमें अक्सर व्यक्ति गुस्सा, ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना शामिल होती है, और ये किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा किया जाता है। **वर्ष**

Social Violence : १ (सामाजिक हिंसा) : सामाजिक हिंसा का मतलब है, कोई पैमाने पर समाज में होने वाली हिंसा जैसे : - लड़कियों, जातिगत संघर्ष या सामूहिक हिंसा आदि, जो अक्सर समूहों के बीच संघर्ष और असमानता से जुड़ी होती हैं। जैसे : - राजनीतिक अल्प-प्रतिधार्मिक हिंसा या आर्थिक असमानता से जुड़े संघर्ष आदि।

ये हिंसा अक्सर लंबे समय तक चलती है और समाज में डर या अस्थिरता का माहौल पैदा कर देती है।

200 आक्रमण तथा हिंसा एक सामंजसिक समस्या (Universal Problem) है। यह समस्या बारीय समाज के साथ-2 दूसरे सभी देशों में बंरिगर तथा जटिल समस्या बनते जा रही है।

आर्नोल्ड बस (Arnold Bus) 1961 के अनुसार - "आक्रमण का अर्थ वह व्यवहार है, जिससे दूसरों की नुकसान या कष्ट पहुँचता है।" दूसरे शब्दों में "Aggression is any behaviour that harms or hurts someone else."

बरकोविज (BarKowicz) 1975 ने भी कहा है कि "आक्रमण का तात्पर्य दूसरों के प्रति किये गए सामान्य हानि या क्षति से है।" दूसरे शब्दों में "Aggression refers to injury or harm to another person."

चप्लिन (Chaplin) (1975) ने आक्रमण की परिचालक परभाषा (Operational Definition) पर बल दिया है और कहा है कि "आक्रमण का तात्पर्य दूसरों के प्रति प्रहार करना या हानि पहुँचाना, अनादर, नुकसान पहुँचाना, उपहास या आरोप करना, ढँड देना, परपीडक व्यवहारों में लगा रहना है।" दूसरे शब्दों में "Aggression means the need to assault or injure another, to belittle, harm, ridicule, or accuse maliciously, to punish severely, or to engage in sadistic practice."

इस विचार का समर्थन करते हुए Rebur & Rebur (2001) ने कहा है कि "आक्रमण एक अत्यधिक सामान्य पद है, जिसका व्यवहार विभिन्न ऐसे व्यवहारों के लिए किया जाता है, जिनमें धावा, बैराव्य, आदि मिहित होते हैं।"

कुपर तथा वरबोल (1979) ने आक्रमण की परिभाषित करते हुए कहा है कि "किसी व्यक्ति विरोध के प्रति हानि पहुँचाने के उद्देश्य किर वात व्यवहारों को आक्रमण कहते हैं।"

दूसरे शब्दों में "Aggression is an extremely general term used for a wide variety of acts that involve attack, hostility, etc."

Robert L. Rown Byrne (रॉबर्ट तथा डॉन बिर्न), 1974 ने कहा

कि "दूसरे प्राणी को नुकसान या हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी व्यवहार आक्रमण है, जिससे बचने के लिए वह हो। दूसरे शब्दों में "Aggression is any form of behaviour directed toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment."

यदि आक्रमण के सम्बंध में बिर्न-2 अनोर्वेवाल्को के द्वारा दिए गए परिभाषाओं में सही समझ पाई जाती है। अतः उनके विश्लेषण से आक्रमण के सम्बंध में चार बातें स्पष्ट होती हैं :-

- (i) आक्रमण एक व्यवहार है। इस अर्थ में आक्रमण संवेक (emotional) या आवश्यकता (need) से बिना है। संवेक के साथ आक्रमण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रेरक (motivation) या आवश्यकता का सम्बंध आक्रमण के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। अतः हम आक्रमण को न तो संवेक कह सकते हैं, न प्रेरक और न आवश्यकता।
- (ii) आक्रमण वह व्यवहार है, जो जानबूझकर दूसरों को हानि, क्षति या नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है। आक्रमण व्यवहार का यह अभिप्राय कभी तो प्रकट (explicit) होता है और कभी अप्रकट (implicit)।
- (iii) आक्रमण जीव या प्राणी की ओर निर्देशित होता है। यदि हीनार, भुसी, रेबुल या किसी अन्य निजीव जंतु के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो उसे आक्रमण नहीं कहेंगे। हाँ यदि जानबूझकर किसी ^{ऐसी} ~~ऐसी~~ ^{जैसी} ~~जैसी~~ जंतु को नष्ट कर दिया जाए जिससे किसी व्यक्ति या जीव को नुकसान पहुँचे तो उसे

आह्वान कहेंगे। अर्थात्:- यदि किसी बच्चे के 'सुन्दर-खिलानों' को हम उस अभिप्राय से जोड़ दें कि उसे नुस्खान हो या वह पीड़ा का अनुभव कर सके और सवगुच उस बच्चे को पीड़ा या कष्ट का अनुभव हो तो इस व्यवहार को आह्वान कहा जाएगा।

(ii) आह्वान में पीड़ित (victim) उससे बचने के लिए प्रेरित होता है। यदि पीड़ित आह्वान से बचने की प्रेरणा नहीं रखता हो तो, उसे आह्वान नहीं कहा जाएगा। अर्थात्:- स्वपीडक (masochist) खुद से या अपने प्रेयियों के हाथ से पीड़ा पाते समय उससे बचने की प्रेरणा नहीं रखते हैं। इसी तरह अतः ऐसे व्यवहारों को आह्वान नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पीड़ित ही ऐसे व्यवहारों से बचने की प्रेरणा का अभाव होता है।

स्पष्ट है कि केवल ऐसे व्यवहारों को आह्वान कहेंगे, जिसमें उस चारों विशेषताएँ उपस्थित हों।